

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजेन्द्र कुमार, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़
निलम बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमा न0 .55...../2023

तारीख. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.2024	<p>प्रार्थना पत्र में तहसीलदार सूरजगढ़ से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 108 खसरा संख्या 30 रकबा 2.05 है0, खसरा संख्या 31 रकबा 2.49 है0, खसरा संख्या 451/38 रकबा 0.19 है0, खसरा संख्या 5 रकबा 1.17 है0, खसरा संख्या 6 रकबा 1.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.12 है0 के खातेदार सुशीला पुत्री भादर जाति मेघवाल हिस्सा 1/18 दर्ज रिकार्ड है।</p> <p>प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेज पेन कार्ड एवं राशन कार्ड व लोगो से पूछताछ करने के आधार पर तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम नीलम पुत्री भादर है। सुशीला पुत्री भादर व निलम पुत्री भादर एक ही व्यक्ति है।</p> <p>अतः तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का सही नाम राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 108 खसरा संख्या 30 रकबा 2.05 है0, खसरा संख्या 31 रकबा 2.49 है0, खसरा संख्या 451/38 रकबा 0.19 है0, खसरा संख्या 5 रकबा 1.17 है0, खसरा संख्या 6 रकबा 1.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.12 है0 हिस्सा 1/18 में प्रार्थी का नाम सुशीला पुत्री भादर के स्थान पर निलम पुत्री भादर दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़